फैक्स / ई–मेल

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
अनुभाग–4, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः–3993/4–35एफ / 201(2) दिनांक :– 12 –07–2017

विषय– लेखपाल तथा भूमि अध्याप्ति अमीन संवर्ग से राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के उपरांत जनपदवार तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखपाल व भूमि अध्याप्ति अमीन संवर्ग से राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति के उपरांत उनकी जनपदवार तैनाती का आदेश मा0 परिषद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। पदोन्नति एवं जनपदवार तैनाती का विस्तृत विवरण परिषद की वेवसाइट पर उपलब्ध है कृपया इसे डाउनलोड करते हुये मा0 परिषद के आदेशानुपालन में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(महेन्द्र सिंह)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

(1) प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(2) प्रतिलिपि कम्प्यूटर प्रभारी, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संलग्न सूची परिषद की वेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(महेन्द्र सिंह)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

कार्यालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग–4 लखनऊ।

संख्या–3994/4– 35एफ/2014(2) दिनांक 12/07/2017

आदेश
प्रोन्नति/तैनाती

लेखपाल तथा भूमि अध्याप्ति संवर्ग से राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति हेतु दिनांक 01–06–2017 को चयन समिति की बैठक लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश मुख्यालय इलाहाबाद में सम्पन्न हुई। चयन समिति की बैठक के उपरांत लेखपाल तथा भूमि अध्याप्ति संवर्ग से राजस्व निरीक्षक के पद पर चयनित कार्मिकों की सूची संस्तुति सहित लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र संख्या–99/09/पी/एस–5/2016–2017 दिनांक 22.06.2017 द्वारा परिषद को उपलब्ध कराई गई।

लोक सेवा आयोग के उपरोक्त पत्र में की गई संस्तुति के दृष्टिगत मा0 परिषद, निम्न सूची के कमांक 1 से 30 तक अंकित 30 विकलांग लेखपालों तथा कमांक 31 पर अंकित 01 विकलांग भूमि अध्याप्ति अमीन संवर्ग से विकलांग कोटे के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक के पद पर चयनित कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान करते हुये उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ संख्या–5 में उल्लिखित जनपदों में तैनात/नियुक्त किये जाने का आदेश प्रदान करते हैं:–

कमांक	कोटि कमांक	विकलांग लेखपाल/ भू0 अ0 अमीन का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद का नाम	प्रोन्नति के बाद तैनाती जनपद का नाम
1	2	3	4	5
1	864	श्री राजेश कुमार गुप्ता	जालौन	जालौन
2	1092	श्री अजीम मोहम्मद	बांदा	बांदा
3	1535	श्री रामनाथ	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद
4	1741	श्री ओम प्रकाश मिश्र	बस्ती	बस्ती
5	1888	श्री धर्मवीर सिंह	बागपत	बागपत
6	1967	श्री रामचन्द्र सिंह	फतेहपुर	फतेहपुर
7	2011	श्री लक्ष्मण राम	चन्दौली	चन्दौली
8	2100	श्री जयपाल कुरील	कानपुर नगर	कानपुर नगर
9	2665	गिरीश चन्द्र	बस्ती	बस्ती
10	2733	श्री जय नरायन	बस्ती	बस्ती
11	3020	श्री राजाराम पाल	आजमगढ	आजमगढ
12	3144	श्री जगमाल सिहं	अमरोहा	अमरोहा
13	3173	श्री रामसनेही	हमीरपुर	हमीरपुर
14	3227	श्री बलदेव प्रसाद चौबे	फैजाबाद	फैजाबाद
15	3349	श्री ताहिर हुसैन	फतेहपुर	फतेहपुर
16	3465	मोहन सिंह	मथुरा	मथुरा
17	3492	श्री ओम प्रकाश दूबे	इलाहाबाद	इलाहाबाद
18	3642	श्री राजेश्वरी प्रसाद	बस्ती	बस्ती
19	3802	रामचन्दर तिवारी	श्रावस्ती	श्रावस्ती
20	3878	रक्षाराम	बलरामपुर	बलरामपुर
21	3941	श्री कमला कान्त पाण्डेय	फैजाबाद	फैजाबाद
22	4791	राम लखन सिंह	बांदा	बांदा
23	4824	श्री महादेव सिंह	फतेहपुर	फतेहपुर
24	4842	रामपाल	रायबरेली	रायबरेली

(A/c)

1	2	3	4	5
25	5248	रामगोविन्द	कुशीनगर	कुशीनगर
26	5303	विष्णु प्रसाद	चन्दौली	चन्दौली
27	5320	श्री घनश्याम सिंह	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद
28	5408	रामसिंह	कुशीनगर	कुशीनगर
29	5426	श्री दिनेश कुमार सिंह	गाजीपुर	गाजीपुर
30	5618	शीतला पाण्डेय	वाराणसी	वाराणसी
31	94	श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव(भू0अ0अमीन)	रायबरेली	रायबरेली

उपरोक्त सूची के साथ मा0 परिषद द्वारा निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये जा रहे हैं –

1– सम्बन्धित जिलाधिकारी ''उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली–2014''के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक के पद पर नियुक्तियां करें तथा यदि उनके यहॉ के संबंधित प्रोन्नत राजस्व निरीक्षक, सूची के अनुसार अन्यत्र जनपद में स्थानान्तरित हो रहे हों तो वहॉ के लिये तत्काल कार्यमुक्त करते हुये संबंधित कर्मचारी को नवनियुक्त स्थान पर अविलम्ब कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

2– यदि उपरोक्त सूची में से किसी कर्मचारी की इस दौरान मृत्यु/सेवानिवृत्ति हो गयी हो तो उसके संबंध में यथाशीघ्र परिषद को अवगत करायें।

3– प्रोन्नति के पश्चात राजस्व निरीक्षक के पद पर नियुक्ति व्यक्ति को उ0प्र0 अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली–2014 के अंतर्गत 03 माह तक राज0 निरीक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा प्रशिक्षण के अन्त में एक अर्हकारी परीक्षा आयोजित की जायेगी। इस हेतु परिषद स्तर से पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।

4– मा0 परिषद द्वारा संबंधित जिलाधिकारियों को इस आशय का निर्देश भी दिया गया है कि पदोन्नत राजस्व निरीक्षकों को उनकी गृह तहसील से इतर तहसील में राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात/नियुक्ति करें। गृह तहसील में तैनात न किया जाय।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से शीघ्रातिशीघ्र परिषद को अवगत करायें।

राजस्व परिषद के आदेश से,

ह0/–

(महेन्द्र सिंह)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त।

संख्या व दिनांक यथोक्त

1– प्रतिलिपि उपरोक्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मा0 परिषद के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

2– प्रतिलिपि सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–9, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

4– प्रतिलिपि सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद को उनके उपरोक्त पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(महेन्द्र सिंह)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

Ashok
12/7/17
(अशोक कुमार)
समीक्षा अधिकारी

12-7-17
(अजय कुमार श्रीवास्तव)
अनुभाग अधिकारी–4